भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 391
दिनांक 27 मार्च, 2025

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम

***391. श्रीमती कमलेश जांगड़े:**
श्री मनोज तिवारी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2013-14 से 2024-25 के दौरान फरवरी 2025 तक इथेनॉल की आपूर्ति में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा इथेनॉल मिश्रण के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा आगामी तीन वर्षों के दौरान विशेषकर फरवरी-मार्च, 2025 और फरवरी-मार्च, 2026 तक औसतन इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य क्या है; और
(ङ) विगत दस वर्षों के दौरान ईबीपी कार्यक्रम का विदेशी मुद्रा भंडार और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में निवल कमी के संबंध में क्या योगदान रहा है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम" के संबंध में दिनांक 27.03.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 391 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): सरकार कई प्रयोजनों के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को प्रोत्साहित कर रही है। हरित ईंधन के रूप में एथेनॉल सरकार के पर्यावरण सम्बन्धी संधारणीय प्रयासों का समर्थन करती है। यह विदेशी मुद्रा की बचत करने के साथ कच्चे तेल पर आयात निर्भरता कम करती है और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देती है।

ईबीपी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2014-15 से जनवरी, 2025 तक किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का शीघ्र भुगतान हुआ है, इसके अलावा 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत, लगभग 626 लाख मीट्रिक टन निवल सीओ2 में कमी और 200 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ है।

सरकार ने दिनांक 02.06.2021 की अधिसूचना के माध्यम से तेल कम्पनियों को दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी, जिसे बाद में घटाकर दिनांक 15.12.2022 कर दिया गया, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विनिर्देशों के अनुसार 20% तक एथेनॉल की प्रतिशतता के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करने के लिए निर्देशित किया है। राष्ट्रीय जैवईंधन नीति – 2018, वर्ष 2022 में यथासंशोधित, में अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से घटाकर वर्ष ईएसवाई 2025-26 कर दिया गया है।

सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर ईएसवाई 2023-24 में 707 करोड़ लीटर हो गया जिससे मिश्रण प्रतिशत में 1.53% से 14.60% की तदनुरूपी वृद्धि हुई। चालू ईएसवाई 2024-25 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने पेट्रोल में 18% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा। फरवरी, 2025 माह में, 19.68% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। अब तक, सरकार द्वारा 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रण का निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकार द्वारा एथेनॉल मिश्रण पर विभिन्न दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं –

i. एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2014 में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था आरम्भ करना।

ii. राष्ट्रीय जैवईंधन नीति – 2018 और वर्ष 2022 में इसका संशोधन।

iii. ईबीपी कार्यक्रम के अन्तर्गत एथेनॉल की अंतर्राज्यीय और अंतर-राज्य ढुलाई को सुव्यवस्थित करने हेतु उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1951 में संशोधन करना।

iv. ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनॉल पर जीएसटी की दर कम करके 5% करना।

v. दीर्घकालिक आधार पर एथेनॉल की अधिप्राप्ति के लिए एथेनॉल अधिप्राप्ति नीति, 2019

vi. वर्ष 2020-2025 अवधि के लिए भारत में एथेनॉल मिश्रण के लिए रोडमैप।

vii. पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2030 से घटाकर इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 किया जाना।

viii. एथेनॉल की कमी वाले राज्यों में समर्पित एथेनॉल संयंत्रों (डीईपीज) स्थापित करने के लिए अगस्त, 2021 में निर्गत दिशा-निर्देश और दीर्घ कालिक उठान करार (एलटीओए) पर हस्ताक्षर।

ix. एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वर्ष 2018 से 2022 तक एथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाएँ।

x. देश में लिग्नोसेल्युलोजिक जैवमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके उन्नत जैवईंधन परियोजनाएँ स्थापित करने के निमित्त एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन प्रदान करने हेतु "प्रधान मंत्री जी-वन (जैव-ईंधन–वातावरण अनुकूल फल अवशेष निवारण) योजना" 2019, वर्ष 2024 में यथासंशोधित।

****